सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 22, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 13, *2024*	
Agrahayana 22, Friday, Saka 1946- December 13, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 22, 2024

संख्या Website advt policy 2024-04962:- न्यूज वेबसाइट्स पर विज्ञापन के लिए पॉलिसी गाइडलाइन

1. **नोडल एजेंसी**

राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) नोडल एजेंसी होगा। विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया राजस्थान संवाद के माध्यम से की जाएगी। राजस्थान संवाद द्वारा DAVPद्वारा सूचीबद्ध वेबसाइटों या DIPR के मानदंडों के अनुसार पात्र वेबसाइटों पर ही विज्ञापन दिए जाएंगे।

2. **विज्ञापन आवंटन के मानदंड**

   a. वेबसाइट को पिछले छह महीनों की औसत मासिक यूनिकयूजर्स (UU) की संख्या की रिपोर्ट देनी होगी। वेबसाइट द्वारा सबमिट किए गए UU डेटाComScore या Google Analytics जैसे टूल्स के माध्यम से मान्य होंगे।

   b. केवल उन वेबसाइटों को पात्र माना जाएगा जो भारत में पंजीकृत कंपनियों द्वारा संचालित और स्वामित्व में हों। वेबसाइटों को प्रमाण के रूप में अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र देने होंगे।

   c. एक ही कंपनी या समूह की कई वेबसाइटों को विज्ञापन मिल सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक वेबसाइट अलग-अलग UUकी संख्या के मानदंड को पूरा करे। समूह की प्रत्येक वेबसाइट के लिए अलग-अलग आवेदन देने होंगे।

   d. DIPR को किसी भी वेबसाइट को विज्ञापन देने से मना करने का अधिकार होगा, यदि उसकी सामग्री राष्ट्र-विरोधी, अश्लील, अभद्र, समाज-विरोधी, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध या किसी भी रूप में आपत्तिजनक पाई जाती है।

   e. केवल उन वेबसाइटों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो वेबसाइट के स्वामित्व और संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा सीधे प्रस्तुत किए गए हों। किसी भी मध्यस्थ एजेंसी को किसी वेबसाइट या वेबसाइटों के समूह की ओर से आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

f. DIPR द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा, ताकि अधिकतम दर्शक इसे देख सकें और निर्धारित Click Through Rate (CTR) प्राप्त हो सके।

g. केवल वही वेबसाइटें पात्र मानी जाएंगी जो DAVPद्वारा सूचीबद्ध वेबसाइटें हों या जो मासिक यूनिकयूजर्स के आधार पर DIPR द्वारा पात्र मानी गई हों।

h. राज्य में वेबसाइट वर्गीकरण के समय प्रचलित DAVPद्वारा निर्धारित मानक विज्ञापन दरें स्वीकार की जाएंगी।

i. वेबसाइटों के लिए जारी किए गए विज्ञापनों का आकार DAVPद्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

j. वेबसाइट/पोर्टल सभी प्रमुख ब्राउज़रों (Google Chrome, Safari आदि) को सपोर्ट करनी चाहिए।

k. वेबसाइट का मोबाइल कॉम्पिटिबल होना आवश्यक है।

l. वेबसाइट को नियमित अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

m. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर वेबसाइट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए।

n. वेबसाइट पर राजस्थान के यूजर्स का ट्रैफिक होना चाहिए। वेबसाइट द्वारा अपने कंटेंट (संख्या) का 50 प्रतिशत समाचार होने से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।

o. वेबसाइटों को उनके मासिक यूनिकयूजर्स की संख्या के आधार पर श्रेणी A, B और C में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम यूनिकयूजर्स योग्यता निम्नलिखित होगी:

    a. **श्रेणी A**: 50 लाख या अधिक यूनिकयूजर्स प्रति माह

    b. **श्रेणी B**: 20 लाख और<50 लाख यूनिकयूजर्स प्रति माह

    c. **श्रेणी C**: 2.5 लाख और<20 लाख यूनिकयूजर्स प्रति माह

p. DAVPपंजीकृत Websites के प्रकरणों में केवल DAVPपंजीकरण होना ही पर्याप्त होगा। DAVPमें पंजीकृत Websites पर केवल मात्र Unique Users की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किये जा सकेंगे।

3. DAVP के साथ अपंजीकृत समाचार वेबसाइट को विज्ञापन दिए जाने हेतु निम्नलिखित मानदंड़ों पर ध्यान दिया जाएगा:

a. विज्ञापन केवल उन समाचार वेबसाइटों को जारी किए जाएंगे जिनके पास कम से कम 2.5 लाख यूनिकयूजर्स प्रति माह हों, तथापि राज्य सरकार राज्य हित में 2.5 लाख यूनीकयूजर्स से कम संख्या वाली न्यूजवेबसाइट्स को भी विज्ञापन देने के लिए अलग से आदेश जारी कर सकेगी एवं इसके लिए दर निर्धारित कर सकेगी।

b. विज्ञापन DAVPदर/ DIPR दर, श्रेणी और आकार के आधार पर वेबसाइट को जारी किए जाएंगे।

c. किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापन को समाचार पत्र, पत्रिका या किसी अन्य प्रकाशन को आवंटित किए गए विज्ञापन के रूप में ही माना जाएगा। राजस्थान विज्ञापन नियम, 2001 के नियम 11(5) के अनुसार, किसी भी वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

d. वेबसाइट का डोमेन का पंजीकरण विज्ञापन आवेदन की तारीख से कम से कम 2 वर्ष पूर्व का होना चाहिए।

e. किसी भी विज्ञापन को जारी करने से पहले वेबसाइट संचालक द्वारा दो वर्ष की सीए ऑडिट रिपोर्ट, वेबसाइट कार्यालय का स्थायी पता, पैन नंबर और अन्य प्रमुख दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे।

f. वेबसाइट का राजस्थान में एक कार्यालय या प्रतिनिधि होना आवश्यक है।

g. वेबसाइट्स को DAVPदरों अथवा DIPR दरों से अधिक भुगतान देय नहीं होगा।

4. भौतिक सत्यापन:

(a) वेबसाइट पर विज्ञापनों के प्रदर्शन और यूनिकयूजर्स की संख्या का भौतिक सत्यापन ComScore या Google Analytics के माध्यम से DAVPकार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा।

(b) वेबसाइटों का भौतिक सत्यापन DIPR/DAVPद्वारा विज्ञापनों के लिए निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(c) कार्य आदेश और भुगतान, DIPR/DAVPद्वारा निर्धारित नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार ही किया जाएगा।

5. विज्ञापन राशि:

(a) **श्रेणी A**: यदि वेबसाइट नियमों के अनुसार श्रेणी A में मान्य है, तो अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति माह तक के विज्ञापन दिए जा सकते हैं।

(b) **श्रेणी B**: यदि वेबसाइट श्रेणी B में मान्य है, तो अधिकतम 75,000 रुपये प्रति माह तक के विज्ञापन दिए जा सकते हैं।

(c) **श्रेणी C**: यदि वेबसाइट श्रेणी C में मान्य है, तो अधिकतम 50,000 रुपये प्रति माह तक के विज्ञापन दिए जा सकते हैं।

(d) सामान्यतयाउक्तानुसार ही विज्ञापन दिए जाएंगे, फिर भी प्रकरण विशेष में प्रचार-प्रसार की दृष्टि से राज्य सरकार विज्ञापन की अधिकतम राशि के संबंध में निर्णय कर सकेगी।

(e) DIPR वेबसाइटों पर मानक आकार के वेब बैनर और मानक वीडियो विज्ञापन प्रकाशित करेगा। DIPR वेबसाइटों पर Cost per Thousand Impressions (CPTI) के आधार पर मानक बैनर विज्ञापन जारी करेगा और बिल के समय संलग्न रिपोर्ट में न्यूनतम Click-Through Rate (CTR) 0.30 यानी प्रति हजार इम्प्रेशंस पर 3 क्लिक या प्रति मिलियन इम्प्रेशंस पर 3000 क्लिक विभिन्न श्रेणियों में होना चाहिए।

6. CTR एवं इम्प्रेशन में कमी होने पर कटौती

a. CTRयदि 0.3 से कम लेकिन 0.2 तक है, तो बिल की राशि में 20 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

b. CTRयदि 0.2 से कम लेकिन 0.1 तक है, तो बिल की राशि में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

c. CTRयदि 0.1 से कम है, तो बिल की राशि में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।

d. यदि इम्प्रेशन की संख्या निर्धारित संख्या से कम है तो समानुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

7. वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया:

(a) समाचार वेबसाइटों को विज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रथम बार निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

(b) विज्ञापन के कंटेंट और विज्ञापन जारी करने के लिए उपयुक्त समाचार वेबसाइट के चयन के लिए एक विभागीय समिति का गठन किया जाएगा।

(c) क्रिएटिव या डिजाइन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(d) समाचार वेबसाइट द्वारा दस्तावेज़ प्रामाणिक होने का शपथ पत्र दिया जाएगा।

(e) DIPR द्वारा जारी किए गए विज्ञापन (बैनर/वीडियो) को वेबसाइट के होम पेज पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा जहाँ राजस्थान से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं। इसके अतिरिक्त, DIPR किसी विशेष पृष्ठ या वेबसाइट की सामग्री पर विशेष विज्ञापन प्रदर्शित करने का अनुरोध कर सकता है।

(f) DAVPद्वारा तय की गई दरों को DIPR द्वारा समय-समय पर अपनाया जाएगा।

8. इन शर्तों के तहत विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे:

(a) वेबसाइटें केवल डिस्प्ले विज्ञापन प्राप्त करने के योग्य होंगी; उन्हें क्लासिफाइड विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे।

(b) मीडिया संगठन एक बार में अपने समाचार पत्र अथवा वेबसाइट में से किसी एक ही मीडिया के लिए विज्ञापन ले सकेगा।

9. अन्य शर्तें

a. विज्ञापन के लिए आवेदन करने वाली वेबसाइटें स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, हस्ताक्षर और मुहर होगी तथा पुष्टि की जाएगी कि उनकी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी सही है और DIPR के विज्ञापन के संबंध में निर्णय स्वीकार किया गया है। यदि वेबसाइटों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी रूप में गलत/असत्य पाई जाती है, तो वेबसाइट को विज्ञापन से निलंबित या अगले तीन वर्षों के लिए विज्ञापनों के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

b. विज्ञापन एक माह अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए देय होगा।

c. यदि कोई भी वेबसाइट नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसक सामग्री, अश्लील साहित्य, नशीले पदार्थ, क्रूर व असंवेदनशील सामग्री, झूठी खबरें, गलत बयानी या आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण करती है कि तो उसे विज्ञापन हेतु वेबसाइट के लिए तय पैनल से निलंबित कर दिया जाएगा एवं आईटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

d. वेबसाइट पर वेब संपादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो कि प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।

e. राज्य के हित में जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार के पास रहेगा।

10. कैटेगिरी के अनुसार विज्ञापन की दर-

कैटेगिरी ए

- 300 × 250 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 35 रुपए

- 728 × 90 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 38 रुपए
- वीडियो विज्ञापन (प्रति 5 सेकंड) (सीपीटीआई)- 0.8 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे शाम से 12 बजे रात तक)- 17500 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक) – 25 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक) – 25 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे दिन से 6 बजे शाम तक) – 50 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (24 घंटे)- 75 हजार रुपए

कैटेगिरीबी

- 300 × 250 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 35 रुपए
- 728 × 90 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 38 रुपए
- वीडियो विज्ञापन (प्रति 5 सेकंड) (सीपीटीआई)- 0.1 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे शाम से 12 बजे रात तक)- 15000 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक) – 25 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक) – 25 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे दिन से 6 बजे शाम तक) – 50 हजार रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (24 घंटे)- 75 हजार रुपए

कैटेगिरी सी

- 300 × 250 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 5.25 रुपए
- 728 × 90 पिक्सल बैनर विज्ञापन (सीपीटीआई)- 5.65 रुपए
- वीडियो विज्ञापन (प्रति 5 सेकंड) (सीपीटीआई)- 0.1 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे शाम से 12 बजे रात तक)- 1000 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक) – 2000 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक) – 2000 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (12 बजे दिन से 6 बजे शाम तक) – 3000 रुपए
- फिक्स्डस्लॉट बैनर (24 घंटे)- 5000 रुपए

उपरोक्त दर में जीएसटी अलग देय है।

पूर्व में राजस्थान राजपत्रविशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना"वेबसाइट्स पर विज्ञापन के लिए पॉलिसीगाइडलाइन"क्रमांकएफ.2 (1) गृह/संपर्क/सचि./प्रको./2022 दिनांक 18 जुलाई 2022 एवं अधिसूचना क्रमांकएफ.2 (1) गृह/संपर्क/सचि./प्रको./2022 दिनांक 03 अक्टूबर2023 का निरसन किया जाता है।

विजयपाल सिंह,
आयुक्त एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।